न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—49 / 2017 / 225 (2017 / 00049)

1. किशना पुत्र लादू,
2. हीरालाल पुत्र लादू,
3. श्रवण पुत्र बीरमा,
4. सुगनी पत्नि स्व0 राजू,
5. नारायण नाबालिग पुत्र स्व0 राजू जरिये सरंक्षक माता सुगनी पत्नि राजू,
6. सुखदेव पुत्र सुजान,
7. श्रीमती रूपा पत्नि मदन,

समस्त जाति गुर्जर, निवासी केसरपुरा, तहसील टांटोटी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामकरण पुत्र बोदू, जाति गुर्जर, निवासी केसरपुरा तह0 टांटोटी, जिला अजमेर ।

असल—रेस्पोडेंट

2. श्रीराम पुत्र बीरमा (मृतक) जरिये विधिक वारिसानः—
   2 / 1— मदन दत्तक पुत्र श्रीराम नाबालिग जरिये सरंक्षक माता सुगनी
3. रामदेव पुत्र घासी (मृतक) जरिये विधिक वारिसानः—
   3 / 1— नारायणी पत्नि रामदेव,
   3 / 2— गिरधारी पुत्र रामदेव,
   3 / 3— गोविन्द पुत्र रामदेव,
   जाति गुर्जर, निवासी केसरपुरा, तहसील टांटोटी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 23.11.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 135 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मदनलाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 3 / 1 से 3 / 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 26.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 23.11.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी / रेस्पो0 संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम केसरपुरा स्थित चाह खसरा नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

548 रकबा 6 बिस्वा व उक्त चाह के पास संयुक्त खातेदारी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 547 जिसमें 10–15 खातेदार है । उक्त भूमि पर आने–जाने हेतु कदीम से रास्ता था जिसको मौके पर बंद कर दिया है । चूंकि सभी खातेदारों की भूमियां आवेदक से पहले स्थित उसके पश्चात् आवेदक की भूमि होने के कारण उक्त खातेदारों द्वारा कदीमी रास्ता बंद कर दिया गया है तथा स्थायी रास्ते के अभाव में आवेदन को अपनी खातेदारी की भूमि पर आने–जाने में काफी परेशानी हो रही है । अतः धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत आवेदक को खातेदारो की भूमि में से रास्ता दिलवाया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 23.11.2016 को आदेश पारित कर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस की आराजियात में से 13 फीट चौड़ाई तथा 490 फीट लंबाई में रास्ता स्वीकार किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वंय स्वीकार किया था कि उसके चाह खसरा नंबर 548 रकबा 6 बिस्वा एवं अन्य सह खातेदारों के संयुक्त खातेदारी खसरा नंबर 547 में आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है जिसका कारण रेस्पो0 ने बताया कि उनकी (अन्य काश्तकारों) की भूमि रेस्पो0 से पहले स्थित है, अर्थात् रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया कि वह आराजी खसरा नंबर 547 व 548 पर पूर्व में किन–किन खसरा नंबरों से अपनी भूमि पर आने–जाने हेतु रास्ते का उपयोग करता था एवं अब किस खसरा नंबर में किस व्यक्ति द्वारा रास्ता बंद किया गया है । रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्पष्ट था । ज्यादा से ज्यादा अधी0न्याया0 को रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सक्षम न्यायालय को अवरूद्ध रास्ते को चालू करवाने हेतु प्रेषित करना चाहिये था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । राज0काश्त0अधि0 की धारा 251 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी की जोत पर आने जाने हेतु विद्यमान रास्ते को यदि किसी काश्तकार द्वारा अवरूद्ध किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति अपने क्षेत्र के तहसीलदार के समक्ष या अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन कर सकता है । उक्त वास्तविकता की जानकारी रेस्पो0 एवं अधी0न्याया0 को होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया कि ग्राम केसरपुरा स्थित आराजी खसरा नंबर 547 का वह स्वंय तथा 10–15 अन्य व्यक्ति सहखातेदार है अर्थात् रेस्पो0 ने उक्त कथित अन्य सहखातेदारों को पक्षकार ही संयोजित नहीं करने तथा उनके द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध कोई आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया कि कथित आराजियात पर आने जाने हेतु कभी रास्ता अपीलांटस की आराजियात में से रहा हो तथा उसे अपीलांटस द्वारा बंद कर दिया हो, यदि अपीलांटस ऐसा करते तो खसरा नंबर 547 के अन्य सहखातेदार भी सक्षम न्यायालय में आवेदन करते किन्तु न तो अपीलांट की भूमि में कभी भी रेस्पो0 का रास्ता रहा है एव मौके पर अभी कोई रास्ता विद्यमान नहीं है । ऐसी स्थिति में रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण अभिवचनों पर आधारित था जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से व्यक्तिगत रूप से मौके पर जाकर

विवादित भूमि एवं वैकल्पिक रास्ता है या नहीं बाबत् मौका रिपोर्ट अपने आदेश दिनांक 15.6.2016 को तलब की थी किन्तु उक्त आदेशों की पालना तहसीलदार द्वारा नहीं कर मुर्तिब रिपोर्ट दिनांक 23.6.2016 पर अपने पत्र क्रमांक 30/2016 दिनांक 27.6.2016 को आधार बनाकर प्रस्तुत की गई उक्त रिपोर्ट को तहसीलदार द्वारा तैयार करना नहीं माना जा सकता था क्योंकि उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार के कोई हस्ताक्षर ही नहीं है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष रास्ता प्राप्त करने का क्लेम रेस्पो0 का था उसी को अपने क्लेम को सिद्ध करना था कि वह अपीलांटस की साबिक आराजी खसरा नंबर 511, 512, 516, 517, 510 जिसके हाल खसरा नंबर 643, 644, 645, 646 व 654 में से कदीमी रास्ता रहा हो तथा उसे अपीलांटस द्वारा बंद किया हो । उक्त कथन रेस्पो0 द्वारा सिद्ध ही नहीं किया गया था इसके उपरांत भी गैर कानूनी रूप से अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस पर सिद्ध करने का भार थोपकर क्षेत्राधिकार विहिन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 व इसके संयुक्त खातेदार काश्तकार इनकी साबिक आराजी खसरा नंबर 547, 548 जिसके हाल खसरा नंबर 655, 656 पर आने–जाने हेतु कदीम से ग्राम केसरपुरा चलकर हाल खसरा नंबर 581 की उत्तर तरफ की मेड़ तथा खसरा नंबर 580 व 581 की पूर्वी मेड़ पुनः खसरा नंबर 610 की उत्तर तरफ की मेड़ से लेकर खसरा नंबर 617 जो कि गैर मुमकिन सरकारी भूमि है के मध्य से होते हुए खसरा नबंर 640 की उत्तर तरफ की मेड से चलते हुए खसरा नंबर 640 की पूर्वी मेड के पास–पास चलकर अपनी जोत हाल खसरा नबर 655, 656, 657 में आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है । इसी कारण रेस्पो0 के अन्य सहखातेदारों के द्वारा आज तक सक्षम न्यायालय में अपने आवेदन में अन्य सहखातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया है । उक्त तथ्य स्वंय रेस्पो0 ने भी स्वीकार किया है कि उसकी आराजी पर आने जाने हेतु कदीमी रास्ता विद्यमान है । अधी0न्याया0 ने अपने स्तर पर अपीलांटस एवं तरतीबी रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया था जिनमें से श्रीमती केसर पत्नि लादू गुर्जर का दिनांक 4.4.2014 को स्वर्गवास हो चुका है जिसके विधिक वारिसान में अपीलांट संख्या 1 व 2 पक्षकार है । अतः उक्त मृतक को उक्त अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा तरतीबी रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का स्वर्गवास रेस्पो0 के आवेदन के विचाराधीन रहते हुए हुआ है । इनके मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किये है। इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया है जिससे अधी0न्याया0 का आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस ने पैरवी हेतु अभिभाषक नियुक्त कर रखा था जिस पर अधी0न्याया0 के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को यह निर्देश दिये थे कि आपकी और से अभिभाषक उपस्थित हो रहे है, तुम्हारी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है । यही आश्वासन प्रार्थीगण के अभिभाषक ने भी दे रखा था कि कोई भी आदेश होगा तो सूचित कर दिया जावेगा किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा तथा प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपीलाधीन निर्णय के संबंध में प्रार्थीगण को समय पर सूचित नहीं किया गया जिससे उन्हें तत्समय अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही हो सकी थी । अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2016 की जानकारी प्रार्थीगण को अप्रार्थी द्वारा गांव

में अपने व्यक्तियों को यह कहते हुए सुना कि मुझे प्रार्थीगण के खेतों से रास्ता देने के आदेश हो गये है जिस पर प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से दिनांक 8.2.2017 को संपर्क कर उक्त आदेश की नकल हेतु आवेदन पेश कर नकल लेने पर हुई । तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । आराजी खसरा नंबर 547 चाह रकबा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 547 ग्राम केसरपुरा तहसील टांटोटी प्रार्थी व अन्य 10–15 खातेदारों की खातेदारी में दर्ज है । उक्त आराजियात में आवागमन हेतु कदीम रास्ता था जिसे मौके पर बंद कर दिया गया है । प्रार्थी की आराजियात में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है । रेस्पो0 अपनी आराजियात में आवागमन हेतु धारा 251–ए के तहत रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है । तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की स्वंय की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 547 व 548 कुआं पर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 511, 512, 516 व 517 में से बनाया हुआ है । प्रार्थी द्वारा अधी0न्याा0 के समक्ष रास्ता खुलवाने बाबत् अनुतोष नहीं चाहा गया है बल्कि अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु रास्ते का अनुतोष चाहा गया है । मौके पर कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है । इस कारण रास्ता बंद करने से ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार नहीं है । प्रार्थी द्वारा धारा 251–ए के तहत वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ते का अनुतोष चाहा है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 रामकरण द्वारा खातेदारी आराजी खसरा नंबर 547 व 548 कुआं पर आने जाने हेतु रास्ते बाबत् प्रार्थना पत्र अंतगत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 5.10.2015 को तहसीलदार, टांटोती को कमिश्नर नियुक्त कर ग्राम केसरपुरा के खसरा नंबर 547 व 548 पर आने–जाने के रास्ता क्या है तथा इसके अलावा मौके पर अन्य रास्ता है अथवा नहीं के संबंध में रिपोर्ट तलब की । तहसीलदार, टांटोती ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.6.2016 को रिपोर्ट पेश की जिसमें यह अंकित किया कि आराजी खसरा नंबर 547 व 548 में आने जाने के लिए पूर्व में प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 511, 512, 516, 517 व 510 में से वादी द्वारा अपेक्षित है । अप्रार्थीगण उक्त खसरा नंबर में से रास्ता देने हेतु तैयार नहीं है । मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । खसरा नंबर 547 व 548 के हाल खसरा नबर 655 व 656 बने है । इसी प्रकार खसरा नबर 511, 512, 516, 517 व 510 के हाल खसरा नबर 643, 644, 645, 646 व 654 बने है । भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में दिनांक 23.6.2016 में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा

नंबर 547 व 548 पर पहुंचने हेतु मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा किश्तवार ग्राम केसरपुरा के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजी खसरा नंबर 547 व 548 हाल खसरा नंबर 655 व 656 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 51, 512, 516, 517, 510 से बने हाल खसरा नंबर 643, 644, 645, 646 व 654 से ही लघुतम रास्ता होना प्रतीत होता है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजियात में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होना अपीलांटस सिद्ध नहीं कर पाये है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार एवं भू–अभिलेख निरीक्षक हल्का की मौका रिपोर्ट के मध्यनजर अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से खसरा नंबर 547 व 548 पर आवागमन हेतु खसरा नबर 511, 512, 516, 517, 510 से रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 26.3.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर